रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1990/फाल्गुन 23, 1911
No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1990/PHALGUNA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 15/ई.टी.सी. (पी.एन.)/90

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1990

विषय :—1 जनवरी, 1988 से 31 दिसम्बर, 1990 तक खुले सामान्य लाइसेंस–3 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया, फ़िनलैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को गारमेंट्स और निटवियर के निर्यात हेतु स्कीम ।

फा.स. 2/19/88ई. 1.—उपर्युक्त विषयक 15 अक्तूबर, 1987 की सार्वजनिक सूचना सं. 28-ई.टी.सी. (पी.एन.)/87 और बाद के संशोधनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । यह निर्णय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना को आगे निम्न प्रकार से संशोधित किया जाए :—

2. पैरा 6 के उप पैरा (5)(क) को हटा दिया जाए।

3. पैरा 6 के उप-पैरा 5(ख) को निम्नोक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—,

6(5)(ख) अन्तरिती को अन्तरित मात्रा के निर्यात हेतु सम्बद्ध अवधि जिसमें अन्तरण प्रभावी हुआ है की समाप्ति से 30 दिन का समय अनुमेय होगा । 30 सितम्बर के उपरान्त 31 दिसम्बर तक पोतलदान के लिए दूसरी अवधि के लिए अन्तरित हकदारियों की अनुमति साख-पत्र द्वारा अनुसमर्थित विशेष संविदाओं के मद्दे जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20% की दर से जमा पेशगी राशि/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने के अध्यधीन दी जाएगी।"

4. पैरा 8(3) को निम्नोक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"8(3) इस सिस्टम के अन्तर्गत आबंटन सम्बन्धित आबंटन अवधि के अन्त तक वैध होगा अर्थात् आबंटन 1 अप्रैल से आगे किया जाएगा जो कि 30 जून तक वैध होगा । 1 अगस्त से आगे किए गए दूसरी अवधि के आबंटन 30 अक्तूबर तक वैध होंगे । 1 अक्तूबर, से आगे किए गए आबंटन 31 दिसम्बर तक वैध होंगे ।

5. पैरा 11 के उप पैरा (4) में शब्द "25 देश/श्रेणियों" को "15 देश/श्रेणियों" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए"।

6. पैरा 16 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

16. निर्यात हकदारी के प्रमाणन की वैध अवधि:–

भूतकालीन निष्पादन हकदारी/गैर-कोटा हकदारी/विनिर्माता निर्यातक हकदारी और केन्द्र/राज्य निगम सिस्टम के मामलों में पोतलदान बिलों के संबंध में प्रमाणन 30 दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

बशर्ते कि आबंटन की सभी पद्धतियों में वैधता को विचाराधीन हकदारी की मूल अवधि समाप्ति से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 31 दिसम्बर, के पश्चात नहीं यह इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातक जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 15% का निवल अतिरिक्त बैंक गारन्टी प्रस्तुत करता हो। वैधता को पुनः 30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है लेकिन 31 दिसम्बर के बाद नहीं, वह इस शर्त पर कि निर्यातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 15% का निवल अतिरिक्त बैंक गारन्टी प्रस्तुत करता हो। दूसरे शब्दों में, वैधता को विचाराधीन मूल अवधि की समाप्ति से 60 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 31 दिसम्बर के बाद नहीं, वह इस शर्त पर कि निर्यातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25% का अतिरिक्त बैंक गारन्टी प्रस्तुत करता हो।

वैधता देने के लिए अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल सक्षम होगी। ऊपर दिए गए के अतिरिक्त, कोटों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। आकस्मिक आपदाएं यदि कहीं उत्पन्न हो जाएं तो केवल ईएमडी/बीजी की जब्ती के प्रयोजन के लिए विचारणीय होंगी निर्यात हकदारी के प्रमाणन की वैधता अवधि के विस्तार के प्रयोजन के लिए नहीं।

7. भारत-सरकार पर अधिसूचित 15 अक्तूबर, 1987 की सार्वजनिक सूचना सं. 28-ई.टी.सी. (पी.एन.)/87 द्वारा अधिसूचित स्कीम के सभी अन्य उपबन्ध वही रहेंगे।

तेजेन्द्र खन्ना,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(EXPORT TRADE CONTROL)

PUBLIC NOTICE NO. 15-ETC (PN)/90

New Delhi, the 14th March, 1990

Subject :—Scheme for export order CGL 3 of garments and knitwear to USA, EEC Member States Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada from 1st January, 1988 to 31st December, 1990.

File No. 2/19/88-E-I.—Attention is invited to Public Notice No. 28-ETC (PN)/87, dated the 15th October, 1987 and subsequent amendments on the above subject. It has been decided to further amend the Public Notice as following :—

2. Sub-para (v) (a) of para 6 is deleted.

3. Sub-para (v) (b) of para 6 is substituted by the following :—

"6(v)(b) A transferee would be allowed 30 days from the end of the relevant period, in which transfer is effected, to export the transferred quantity. Transferred entitlements of the 2nd period would be permitted for shipment beyond 30th September upto 31st December against specific contracts backed by Letter of Credit subject to submission of Earnest Money Deposit/Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of FOB value."

4. Para 8(iii) is substituted by the following :—

"8(iii) Allotments under this System will be vaild upto the end of the relevant allotment period, i. e. allotments to be made from 1st April, onwards will be valid upto 30th June. The second period allotments made from 1st August onwards will be valid upto 30th October. Allotments to be made from 1st October onwards will be valid upto 31st December."

5. In sub para (iv) of para 11 the words "25 countries/categories" are substituted by the words "15 countries/categories."

6. Para 16 is submitted by the following :—

"16. Validity Period of Certification of Export Entitlement :—

A certification on the shipping bills shall be valid for a period of 30 days in the case of Past Performance. Entitlement/Non-quota Entitlement/Manufacturer Exporters Entitlement and Central/State Corporations Systems.

Provided that in all systems of allotment validity can be extended for a maximum period of 30 days from the original expiry of the entitlement in question, but not beyond 31st December, subject to the exporter submitting a net additional Bank Guarantee of 15 per cent of FOB value. Validity can be further extended by another 30 days, but not beyond 31st December subject to the exporter submitting a net additional bank guarantee of 10 per cent of FOB value. In other words, in all systems of allotment, validity can be extended for a maximum period of 60 days from the original expiry of the entitlement in question, but not beyond 31st December, subject to the exporters submitting a net additional Bank Guarantee of 25 per cent of FOB value. The Apparel Export Promotion Council shall be competent to grant the extensions. There shall be no extension of quotas except as provided above. Force majure conditions, where they arise, shall be considered for the purpose of forfeiture of EMD Bank Guarantee, and not for the purpose of extension of validity period of Certification of Export Entitlements."

7. All other provisions of the Scheme notified in Public Notice No. 28-ETC(PN)/87 dated the 15th October, 1987, as amended from time to time, remain unchanged.

TEJENDRA KHANNA, Chief
Controller of Imports & Exports.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990